राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक एफ.28(163)पंरावि / प्र02 / डीआरडीए / 2009 / 3851   जयपुर, दिनांकः– 31-12-2012

आदेश

मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 246 / 2012 दिनांक 12.12.2012 के अनुसरण में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तत्समय कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं का जिला परिषदों में विलय का नियमन निम्नानुसार किया जाता हैः–

(i) तत्कालीन डीआरडीए के कर्मचारियों को दिनांक 01.9.2003 से ही जिला परिषद में नियमित किया जाकर उन्हें तत्समय देय वेतन भत्तों / अन्य परिलाभों को संरक्षित भी किया जाता है। दिनांक 01.09.03 को तत्कालीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में स्वीकृत सवंर्ग पदों तथा पदासीन कार्मिकों का विवरण "परिशिष्ठ–"अ" पर संलग्न है।

(ii) जिला परिषद में गठित ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ पूर्ववत कार्यरत, रहेगा। इस प्रकोष्ठ में पदस्थापित कर्मचारियों का संस्थापन व्यय भारत सरकार (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के "डीआरडीए प्रशासन" योजना से प्राप्त राशियों में से पूर्ववत् वहन किये जाते रहेंगे।

(iii) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2004 के अनुसार विलय होने वाले अवसायित डीआरडीए के इन कर्मचारियों की वरिष्ठता जिला परिषद में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों से अलग रखी जावेगी तथा इन कर्मचारियों की पदौन्नति जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रिक्त / रिक्त होने वाले पदो पर की जावेगी।

(iv) "परिशिष्ठ –"अ" के अनुसार स्वीकृत संवर्ग पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितिकरण जिला परिषद में किया जाता है। डी.आर.डी.ए. प्रशासनिक मद में परिशिष्ठ–अ के अनुसार स्वीकृत पद जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में स्वीकृत माने जावेगे तथा इनकी विभिन्न स्तरो पर संख्या स्थिर रहेगी। इन पदो पर तत्कालीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्मिकों का नियमितिकरण दिनांक 01.09.2003 से किया जाता है।

(v) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में रिक्त / रिक्त होने वाले कनिष्ठतम पदो पर नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानो के अन्तर्गत की जावे।

(vi) चूंकि इन कर्मचारियों को दिनांक 01.9.2003 से ही जिला परिषद के नियमित कर्मचारी माना जावेगा, अतः इन कर्मचारियों की सेवायें तत्समय प्रवृत्त राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 से शासित होगीं क्योंकि तत्कालीन डीआरडीए के कर्मचारी डीआरडीए पेंशन फण्ड से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवायें (पेंशन) विनियम 1998 के नियम 6 के अन्तर्गत निर्मित कोष मय ब्याज राजकोष में जमा करवाया जावे। कर्मचारी की सी.पी.एफ. में कटौती कराने की तारीख से पेंशन योग्य सेवा स्वीकार की जाती है।

(2)

(vii) जिन कर्मचारियों ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवायें (पेंशन) विनियम 1998 के अन्तर्गत सी.पी.एफ. हेतु विकल्प दिया है, वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 से शासित नहीं होगें। डी.आर.डी.ए. (पेंशन) विनियम 1998 लागू होने के बाद पारिवारिक पेंशन/पेंशन को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभ स्वीकृत किये जायेगे।

(viii) दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् अनुकम्पा नियुक्तियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग से आई डी संख्या 131200660 दिनांक 27.12.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सी.एस.राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त
9. समस्त जिला कलेक्टर
10. समस्त मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
11. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
12. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
13. आदेश/ रक्षित पत्रावली

शासन सचिव एवं आयुक्त

परिशिष्ठ–अ

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (ग्राविप्र जिला परिषद) के दिनांक 31.08.2003 की स्थिति के आधार पर कार्यरत जिलेवार/पदवार कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	पदवार स्थिति						विशेष विवरण
				स्टेनो	व.लि./ का.सहा.	कनिष्ठ लिपिक	वाहन चालक	च.श्रे.क./ जमादार	अन्य	
1	**AJMER**	17	0	2	2	7	3	3	0	
2	**ALWAR**	20	2	1	2	8	2	5	0	
3	**BANSWARA**	21	5	1	3	5	3	4	0	
4	**BARAN**	18	8	0	0	6	2	2	0	
5	**BARMER**	17	1	1	2	6	3	4	0	
6	**BHARATPUR**	20	4	0	2	7	2	5	0	
7	**BHILWARA**	17	1	1	2	7	3	4	0	
8	**BIKANER**	11	0	2	0	5	2	2	0	
9	**BUNDI**	14	0	2	1	7	3	4	0	
10	**CHITTORGARH**	21	0	2	3	8	3	5	0	
11	**CHURU**	18	0	2	2	7	3	4	0	
12	**DAUSA**	14	2	2	1	5	1	3	0	
13	**DHOLPUR**	13	2	1	1	5	0	4	0	
14	**DUNGARPUR**	19	1	2	3	7	2	4	0	
15	**GANGANAGAR**	15	4	0	1	6	2	2	0	
16	**HANUMANGARH**	10	2	1	2	2	2	1	0	
17	**JAIPUR**	18	1	1	2	7	3	4	0	
18	**JAISALMER**	15	0	2	1	5	3	4	0	
19	**JALORE**	18	2	1	2	7	3	3	0	
20	**JHALAWAR**	21	1	2	3	9	2	4	0	
21	**JHUNJHUNU**	18	2	2	2	7	3	2	0	
22	**JODHPUR**	22	1	2	3	8	3	5	2	
23	**KARAULI**	11	1	1	1	4	2	2	0	
24	**KOTA**	18	0	2	2	7	3	4	0	
25	**NAGAUR**	19	1	1	2	8	2	5	0	
26	**PALI**	19	1	0	2	8	3	5	0	
27	**PRATAPGARH**	3	0	1	1	0	1	0	0	
28	**RAJSAMAND**	16	0	1	2	6	3	4	0	
29	**SAWAIMADHOPUR**	13	0	1	1	5	2	4	1	
30	**SIKAR**	18	0	1	2	8	3	4	0	
31	**SIROHI**	16	2	1	2	6	2	3	1	
32	**TONK**	19	2	2	2	7	3	3	0	
33	**UDAIPUR**	22	1	1	4	8	3	4	1	
	Total	**551**	**47**	**42**	**61**	**208**	**80**	**116**	**5**	